

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश
भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003
 दूरभाष : 0755-2674248, 2524275, फैक्स : 0755-2674206 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/वन्यजीव/वतअ.-1/ Mine-215/3794
 प्रति,

भोपाल, दिनांक 28.4.2025

कार्यपालन यंत्री
 जल संसाधन विभाग, शिवपुरी

विषय :- शिवपुरी जिले के अंतर्गत सनघटा मध्यम परियोजना की डूब क्षेत्र में आने वाली वनभूमि के संबंध में वाइल्ड लाइफ प्लान के अनुमोदन हेतु।

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्रमांक/ 1325 दिनांक 03.09.2024

2. मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी का पत्र क्रमांक/डीएम/2025/294 दिनांक 07.02.2025 एवं 954 दिनांक 07.04.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 03.09.2025 से सनघटा मध्यम सिंचाई परियोजना की डूब क्षेत्र में आने वाली वनभूमि हेतु प्रस्तावित परियोजना स्थल से 10 कि.मी. की परिधि में पाये जाने वाले फलोरा-फौना के संरक्षण हेतु 10 वर्षों के लिए राशि रुपये 244 लाख की वन्यजीव संरक्षण योजना तैयार कराकर इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है। इस योजना के संबंध में अभिमत हेतु मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी को लेख किया गया था।

उक्त परिप्रेक्ष्य में मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 07.02.2025 से अपनी अनुशंसा सहित 10 वर्षों के लिए रुपये 488.96 लाख प्रावधानित कर इस कार्यालय के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। योजना का पुनः परीक्षण उपरांत दिये गये निर्देशानुसार मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 07.04.2025 से 10 वर्षों के लिए रुपये 518.00 लाख प्रावधानित कर तथा इस राशि का Miscellaneous Administration and Monitoring expenses @2% of the total costs की राशि रुपये 10.36 लाख तथा Escalation cost and unforeseen expenditure @20% of total costs की राशि रुपये 103.60 लाख, इस प्रकार कुल राशि रुपये 631.96 लाख का प्रावधान कर संशोधित वन्यजीव संरक्षण योजना अनुशंसा सहित प्रेषित की गयी। जिसके मुख्य घटक एवं प्रावधानित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

S No	Description of Item of work	Year-wise Estimated expenditure (Rs.in Lakhs)										
		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Total
1. Grassland Development, Restoration, Rehabilitation (In Lakhs)												
1	Earthen DGM (Qty 2@15/ unit)	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	60
2	SMC	30	10	0	0	0	0	0	0	0	0	40
3	Pasture and Grassland development	80	40	0	0	0	0	0	0	0	0	120
4	Earthen saucer (4 No.@2.5/Unit)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	20
5	Restoration and Retrofitting	10	05	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	Sub-Total	160	95	0	0	0	0	0	0	0	0	255
2. Conservation of Reptiles (crocodile) and Biological elements												
6	Biological Elements	05	04	0	0	0	0	0	0	0	0	09
7	Conservation of Reptiles crocodiles	10	05	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	Sub-Total	15	09	0	0	0	0	0	0	0	0	24

D:\DNT Sec\Letter-2025-26.docx

61.

S No	Description of Item of work	Year-wise Estimated expenditure (Rs.in Lakhs)										
		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Total
3. Training, control of offences and People participation.												
8	Training and awareness (Rs. 1.0 lakh per training)	02	02	02	02	02	01	01	01	01	01	15
9	Control of wildlife offences (Rs. 1.0 lakh per training)	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	20
10	Peoples participation (Rs. 1.0 lakh per training)	02	02	02	02	02	01	01	01	01	01	15
	Sub-Total	06	06	06	06	06	04	04	04	04	04	50
4. Training, control of offences and People participation.												
11	Petty maintenance, earthen dam Qty 4@ 1.5/ unit)	0	0	0	06	0	06	0	0	0	0	12
12	Petty maintenance, SMC	0	0	0	04	0	04	0	0	0	0	08
13	Petty maintenance, Pasture land	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	24
	Sub-Total	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	44
5. Provision of necessary equipment and gadgets												
1	Inspection cottage for effective monitoring (Qty 1@25/unit)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
2	Establishment of rescue and rehabilitation center with necessary rescue equipment including catching equipment, pinjra, snake catcher, trap, nets, hunting boots, hunting uniform, torch, baton and masaal etc. for the staff etc.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
3	All-terrain vehicle equipped with necessary medical facility & one Ambulance for wildlife treatment in emergencies.	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
4	Purchasing of 200 camera traps.	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	Sub-Total	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
	Total	326	110	06	28	06	26	04	04	04	04	518
	Miscellaneous administration and Monitoring expenses @2% of the total costs	10.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.36
	Escalation cost and unforeseen expenditure @20% of total costs	103.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.60
	Grand Total	439.96	110	06	28	06	26	04	04	04	04	631.96

मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त द्वारा अनुशंसित वन्यजीव संरक्षण योजना के पृष्ठ क्रमांक 07 से 12 में उल्लेखित पलोरा-फौना की सूची एवं उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिये वन्यजीव संरक्षण हेतु पृष्ठ क्रमांक 20 से 28 पर दर्शाये गये कार्यों के लिए रुपये 631.96 लाख की 10 वर्षों की वन्यजीव संरक्षण योजना का अनुमोदन किया जाता है। उक्त अनुमोदित वन्यजीव संरक्षण योजना की एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त को एक प्रति उपलब्ध कराये।

प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति उपरांत समय-सीमा में वन्यजीव संरक्षण योजना में वन्यप्राणी संरक्षण हेतु वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले योजना में प्रावधानित कार्यों हेतु प्रावधानित राशि रुपये 631.96 लाख (रुपये छह करोड़ इक्कतीस लाख छियानवे हजार मात्र) एक मुश्त कैम्पा मद में जमा करायी जाकर मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे तथा आपके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करायेगें।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।


(शुभरंजन सेन)

मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), म.प्र.

भोपाल, दिनांक 28.4.2025

पृ० क्रमांक/वन्यजीव/वतअ.-1/ Mine-215/3795

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरण में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आपके स्तर से जारी अंतिम अनुमति में अनुमोदित वन्यजीव संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि रुपये 631.96 लाख आवेदक संस्था द्वारा मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त को एक मुश्त राशि कैम्पा में जमा कराने एवं योजना में प्रावधानित कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने की शर्त अधिरोपित करने एवं शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की शर्त अधिरोपित किये जाने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त की ओर अनुमोदित वन्यजीव संरक्षण योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति के उपरांत परियोजना प्रारंभ होने के पूर्व वन्यजीव संरक्षण योजना में वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए प्रावधानित राशि 631.96 लाख एक मुश्त आवेदक संस्था से प्राप्त कर प्रावधानित कार्यों को समय सीमा में क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करें तथा तत्संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावे।


मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), म.प्र.